nt>

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

Title: Government Business for the week commening the 8th December, 2003 and submissions made by the members.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोा कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्रीमती सुामा स्वराज की ओर से यह सूचित करता हूँ कि सोमवार, 8 दिसम्बर, 2003 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों का प्रतिस्थापन चाहने वाले विधेयकों पर विचार और पारित करना :-

   i. कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 ;
   ii. आतंकवाद निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2003 ;
   iii. परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2003 ;
   iv. राट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 ; और
   v. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2003

1. भारतीय तार (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना ;
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिाद् (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिाद् (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना ;
3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में विदेशी (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना ;
4. संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार और पारित करना ; और
5. राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

   i. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 1998 ;
   ii. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2003 ; और
   iii. ब्रिटिश कानून (निरसन) विधेयक, 2003

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN CHIRAYINKIL): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

i. There is a recent Government Order requiring immigrants to pay return airfare causing much inconvenience to the job seekers proceeding to the Gulf countries.
ii. Attestation of educational certificates by various Ministries of the Government of India at the time of immigration of candidates seeking job opportunities in foreign countries and also the process of attesting the qualifying documents by the UAE Embassy at New Delhi causing innumerable difficulties to poor unemployed people.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यवाही में निम्न वियों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें :-

1. देश के अंदर संचालित सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों में आम जनता के लिए अनारक्षित सामान्य यात्री डिब्बों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता।
2. अजमेर स्थित एच.एम.टी. इकाई में वहां उपलब् आधारभूत अवसंरचनाओं का पूर्ण उपयोग करने हेतु सैन्य सामग्री उत्पादन करने के आदेश दिए जाने की आ वश्यकता।

SHRI SUNIL KHAN (DURGAPUR): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

i. In view of the judgement of Division Bench on strike of State Government Employees of Tamil Nadu, the Government should ratify I.L.O. Convention Nos. 87, 98 and 151 to give 'Right to strike' to Government Employees.
ii. In view of the Supreme Court's order on disinvestment process of HPCL and BPCL without approval of Parliament and strike notice given by all Trade Unions of oil sector for strike on 16.12.2003, the Government should stop disinvestment process of HPCL, BPCL and IOC.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

The innocent nine youths from Sivaganga, Ramanathapuram district of Tamil Nadu are facing the trial in Malaysian Court under Dangerous Drugs Act, 1952 for the sentence of hanging and the need for Government of India's

intervention for repatriation of innocent youths by engaging lawyers and diplomatic discussions.

SHRI BIR SINGH MAHATO (PURULIA): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

i. To ensure strict implementation of the Dowry Prohibition Act, 1961.
ii. To increase the allocation of funds for proper development of the Indian Systems of medicine.

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, the following items may be included in the next week's agenda:-

i. Crime against women.
ii. To pass the Women's Reservation Bill in this Winter Session.

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित वियों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :-

1. मेरे ससंदीय क्षेत्र खगड़िया (बिहार) के अन्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के खैरपुर दियारा का बहुत बड़ा भूभाग गंगा नदी के निरंतर कटाव के कारण विलुप्त होता जा रहा है। यदि कटाव रोधी कार्य नहीं किया गया, तो पूरा अनुमंडल गंगा नदी में विलीन हो जाएगा। कटाव का आकलन केन्द्रीय टीम से करवाकर स्थायी रूप से कटाव की रोकथाम हेतु स्पर निर्माण की व्यवस्था की जाए।
2. बिहार राज्य से गुजरने वाली राट्रीय उच्च पथ संख्या-31 की हालत अत्यन्त ही खराब है। यह पथ बिहार से असम, पश्चिम बंगाल तथा कई पूर्वोत्तर राज्यों को जाने का मुख्य मार्ग है। इस पथ के मरम्मत कार्य हेतु अविलम्ब व्यवस्था की जाए ताकि यातायात अवरुद्ध न हो।

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Sir, I request that the following items may kindly be included in the List of Business for next week:-

i. Constitutional Amendment Bill for reserving 33 per cent of seats for women in Parliament and all State Legislatures.
ii. Completing the construction of Rail Over Bridge at Meloot in Tellicherry Assembly segment of my constituency Badagara, at the earliest.

____